आपराधिक अपील

न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह और बी एस ढिल्लों के समक्ष,

जयपाल सिंह, अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य, - उत्तरदाता।

आपराधिक अपील संख्या 341/1970
हत्या संदर्भ संख्या 22/1970

1 सितंबर, 1970

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V) - धारा 526 (8) और 526 (9) - धारा 526 (8) के प्रावधान - क्या अनिवार्य है - मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के संबंधित अधिकार क्षेत्र स्थानांतरण के लिए किसी पक्ष के इरादे के बारे में अधिसूचित होने पर लंबित मामले को स्थगित करने के लिए - कहा गया है -स्थगन के लिए आवेदन - क्या स्थानांतरण के आरोपों के निराधार होने के आधार पर सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के प्रावधान अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। स्थगन से इनकार करने के बाद की गई कोई भी कार्यवाही कानून में उचित नहीं है और इस तरह की अनियमितता को संहिता की धारा 537 के प्रावधानों के तहत माफ नहीं किया जा सकता है। अन्यथा कहना न केवल उप-धारा (8) की सीधी भाषा का उल्लंघन करेगा, बल्कि यह न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत की जड़ में भी कटौती करेगा, जिसमें यह आवश्यक है कि न्यायालयों को न केवल भय या पक्षपात के बिना न्याय का प्रशासन करना चाहिए, बल्कि ऐसा करते हुए भी दिखना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों के समक्ष उपस्थित पक्षकारों को न्यायालयों की निष्पक्षता में विश्वास होना चाहिए। (पैरा 13, 17, और 19)

अभिनिर्धारित किया की जहां तक संहिता की धारा 528 (8) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का सवाल है, उसके पास मामले को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिस क्षण स्थानांतरण आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए उसके समक्ष कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा इरादा अधिसूचित किया जाता है। वह संबंधित पक्ष को स्थानांतरण आवेदन करने और उस पर आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए बाध्य है। यदि यह मामला संहिता की धारा 528 की उप-धारा (8) के परंतुक द्वारा कवर किया गया है, तो यह केवल उस स्थिति में है कि स्थगन के लिए बाद के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में सत्र न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की शक्ति कुछ अलग है। धारा 526 की उप-धारा (9) में केवल एक आकस्मिकता का प्रावधान है, अर्थात्, यदि सत्र न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश की राय है कि इस धारा के तहत आवेदन करने के इरादे को अधिसूचित करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा आवेदन करने का उचित अवसर था और वह पर्याप्त कारण के बिना, इसका लाभ उठाने में विफल रहा था, यह केवल उस परिस्थिति में हो सकता है कि स्थगन से इनकार किया जा सकता है। (पैरा 13)

यह माना गया कि एक सत्र न्यायाधीश के पास इस आधार पर स्थगन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि उसकी अदालत से मामले के हस्तांतरण के लिए आवेदन में लगाए गए आरोप निराधार हैं। यह देखना उच्च न्यायालय का काम है कि क्या अभियुक्त को स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के लिए समय दिया जाता है, क्या आवेदन में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, या सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामले के हस्तांतरण का कोई आधार बनता है या नहीं। स्थानांतरण के आवेदन में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष का न्यायाधीश बनना स्वयं सत्र न्यायाधीश का काम नहीं है।

रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री आर एल गर्ग की अदालत के 20 मार्च, 1970 के आदेश से अपील, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था।

यू.डी. गौर, वकील, अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से हरियाणा के एडवोकेट जनरल जे एस मलिक ने पैरवी की।

निर्णय

न्यायमूर्ति बी.एस.ढीलो,- जयपाल सिंह को रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत छह व्यक्तियों अर्थात् भरतू, बलवान, हवा सिंह, श्रीमती कमली, श्रीमती सुनहरी और श्रीमती मूर्ति की मौत के लिए दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि जयपाल सिंह के आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। यह हत्या का मामला जयपाल सिंह के आरोपी की मौत की सजा की पुष्टि के लिए है। आरोपी ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ एक अपील भी दायर की है जिसे 1970 की आपराधिक अपील संख्या 341 के रूप में दर्ज किया गया है।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि सहायक उप-निरीक्षक विद्या प्रकाश (पीडब्ल्यू 14) को दिए गए बयान ओम प्रकाश (पीडब्ल्यू 2) में खुलासा किया गया है, जो 26 जून, 1969 को सुबह 6.30 बजे पुलिस स्टेशन महम में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट का आधार बना, यह है कि ओम प्रकाश के पिता भरतू और जयपाल सिंह के पिता खेम सिंह ने 25 साल पहले एक-दूसरे के साथ झगड़ा किया था। भरतू मृतक ने खेम सिंह को जेली का झटका दिया था; लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इसके बाद से पक्षों के परिवारों के छोटे बच्चे आपस में झगड़ने लगे। करीब 20 दिन पहले जयपाल सिंह के भाई ओम प्रकाश और डिप्टी का रास्ते में खेत में झगड़ा हो गया था तभी दोनों को मामूली चोटें आई थीं। इससे दोनों परिवारों के बीच संबंध और तनावपूर्ण हो गए। 25 और 26 जून, 1969 की रात को यह आरोप लगाया गया है कि ओम प्रकाश, उनके पिता भरतू मृतक और उनके भाई बलवान मृतक अलग-अलग चारपाई पर अपने बाड़े में बाहर सो रहे थे। आधी रात को जब तीनों कोठे के अंदर अपनी चारपाई लेकर गए तो वहां बारिश होने लगी। थोड़ी देर बाद जब बूंदाबांदी बंद हुई तो भरतू और बलवान, मृतक ों ने कोठे से अपनी चारपाई निकाल ली, लेकिन ओम प्रकाश कमरे के अंदर चारपाई पर लेटे रहे। आरोप है कि करीब एक घंटे बाद डबल बैरल बंदूक और कारतूस ों से लैस आरोपी जयपाल सिंह उनके बाड़े में आया और भरतू मृतक के सीने में पहली गोली मारी और बलवान मृतक को भी गोली मार दी। ओम प्रकाश ने कोठा के अंदर से इस घटना को देखा।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि भरतू और बलवान की हत्या करने के बाद, जयपाल सिंह आरोपी गांव आबादी के अंदर मृतक पक्ष के घर की ओर भागा और ओम प्रकाश ने खुद को छिपाते हुए आरोपी का पीछा किया। गांव आबादी स्थित घर में आरोपी पर आरोप है कि उसने पोली यानी घर के बाहरी कमरे में सो रहे ओम प्रकाश के भाई हवा सिंह मृतक पर गोली चला दी। ओम प्रकाश की मां श्रीमती कमली उठी और हवा सिंह की ओर आई, तभी आरोपी पर आरोप है कि उसने उसके स्तन के बाईं ओर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गई। इसके बाद उसने ओम प्रकाश की बहनों श्रीमती सुनहरी और श्रीमती मूर्ति पर गोली चला दी; जबकि ओम प्रकाश की भाभी सुश्री छोटो ने खुद को एक छोटी दीवार के पीछे छिपा लिया और उसे बचा लिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन सभी व्यक्तियों की हत्या करने के बाद, आरोपी अपनी बंदूक के साथ चला गया। धूप सिंह और जंगली P.Ws मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि आरोपी बंदूक प्रदर्शनी पी.1 से लैस मृत व्यक्तियों के घर से बाहर आ रहे हैं, जिस पर एक मशाल प्रदर्शनी पी. 2 बंधी हुई थी और आरोपी ने बैंडोलियर एक्ज़िबिट पी. 3 पहन रखा था। इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि आरोपी के खिलाफ आरोप यह है कि उसने भरतू के परिवार के 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी और बंदूक प्रदर्शनी पी 1 के साथ चला गया, जिसमें एक मशाल, प्रदर्शनी पी 2 लगी हुई थी।

(3) अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए, ओम प्रकाश (पीडब्ल्यू 2) और श्रीमती छोटो (पीडब्ल्यू 3) को घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में, जंगली (पीडब्ल्यू 5) और धूप सिंह (पीडब्ल्यू 6) को गवाह के रूप में देखा, जिन्होंने आरोपी को बंदूक प्रदर्शनी पी 1 से लैस देखा, जिस पर एक मशाल प्रदर्शनी पी 2 फिट की गई थी और उसकी कमर के चारों ओर एक बैंडोलियर प्रदर्शनी पी 3 था। घटना के तुरंत बाद मृतक के आबादी घर से बाहर आना। गुरचरण सिंह (पीडब्ल्यू 7) ने साबित किया कि आरोपी ने 29 अप्रैल, 1969 को 35.20 रुपये में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने 23 कारतूस खरीदे और फिर 6 जून, 1969 को आरोपी ने 25 कारतूस खरीदे, जिनमें से पांच अंग्रेजी के एलजी एली के और पांच एलजी भारतीय निर्मित थे और 15 कारतूस भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के

थे। जिसकी कीमत 85.79 रुपये थी। शांति लाई (पी.डब्ल्यू.8) ने रोहतक के पुलिस अधीक्षक को भेजे गए आरोपी के एक आवेदन को साबित किया, जिसमें भर्तू, बलवान और हवा सिंह, मृतक और गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसमें आरोपी के परिवार के सदस्यों के जीवन के लिए खतरे की आशंका जताई गई थी। ऑफिसर कमांडिंग से लेकर जिला कलेक्टर, रोहतक तक। उदे राम, सहायक उप-निरीक्षक, (पी.डब्ल्यू.9), जिन्हें शिकायत प्रदर्शनी पी.जेड./एल की जांच का जिम्मा सौंपा गया था, ने समझौता प्रदर्शनी पी.जेड./2 को प्रभावी कराया। कश्मीरी लाई (पी.डब्ल्यू.10) ड्राफ्ट्समैन हैं, जिन्होंने साइट प्लान एक्ज़िबिट पी.ए.ए. जय नारायण, सहायक उप-निरीक्षक, (पी.डब्ल्यू.11) ने औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, प्रदर्शनी पी.क्यू./एल: ग्राम मोखरा खेड़ी रोज के सरपंच रामेश्वर (पी.डब्ल्यू.12) ने ए.एस.आई., विद्या प्रकाश (पी.डब्ल्यू.14) द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्टों को सत्यापित किया और वह फिर से उप-निरीक्षक अजीत सिंह (पी.डब्ल्यू. 15) के साथ जांच में शामिल हो गए। पोली, यानी मृतक के घर का बाहरी कमरा। भरतू की पोली से रक्तरंजित पृथ्वी को उनकी उपस्थिति में कब्जे में ले लिया गया। भरतू के आबादी घर के कोर्ट-यार्ड से दो और खाली कारतूस बरामद किए गए और आंगन से खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। उनकी मौजूदगी में घेर के कोर्ट-यार्ड यानी भरतू मृतक के बाहरी घर से दो खाली कारतूस बरामद किए गए। कांस्टेबल प्रेम कुमार (पीडब्ल्यू 13) ने गांव मोखरा खेड़ी रोज के ओम प्रकाश पीडब्ल्यू का बयान पुलिस थाना महम में लिया था, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्होंने 26 जून, 1969 को विशेष रिपोर्टों की प्रतियां पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और इलाका मजिस्ट्रेट के पास ले गईं। ए.एस.आई. विद्या प्रकाश (पी.डब्ल्यू.14) ने 26 जून, 1969 को सुबह 4.30 बजे ओम प्रकाश पीडब्ल्यू का बयान दर्ज किया और मामले की आंशिक जांच की। उन्होंने 26 जून, 1969 को आरोपी को गिरफ्तार किया और 14 कारतूसों के साथ बंदूक प्रदर्शनी पी. 1, टॉर्च प्रदर्शनी पी. 2 और बैंडोलियर एक्जिबिट पी. 3 को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने एक शर्ट, एक धोती और एक चदरा भी अपने कब्जे में ले लिया , जिसे आरोपी ने गिरफ्तारी के समय पहना था। ये सभी कपड़े खून से सने हुए थे। सब-इंस्पेक्टर अजीत सिंह, स्टेशन हाउस ऑफिसर (पीडब्ल्यू 15) ने भी मामले की आंशिक जांच की। उन्होंने भरतू मृतक के बाहरी और आंतरिक घर से खाली कारतूस भी बरामद किए।

(4) आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि वह तीसरी डिग्री में ओम प्रकाश पीडब्ल्यू के चाचा थे और उनका घर गांव मोखरा खेड़ी रोज की आबादी के बाहर ओम प्रकाश पीडब्ल्यू के घर से सटा हुआ है और गांव आबादी में उनका एक और घर है। जो ओम प्रकाश पी.डब्ल्यू. के आबादी घर से भी सटा हुआ है। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने एक आवेदन किया था, लेकिन कहा कि उसे उन व्यक्तियों के नाम याद नहीं हैं जिनके खिलाफ आवेदन किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि एक तरफ के आरोपियों और दूसरी तरफ के भरतू, बलवान, हवा सिंह और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच समझौता हुआ था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के सुझाव के अनुसार कारतूस ों की खरीद की बात भी स्वीकार की, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी से इनकार कर दिया। इस सवाल के जवाब में कि उनके खिलाफ यह मामला क्यों था, उन्होंने कहा कि घटना की रात, वह अपनी बंदूक प्रदर्शनी पी 1 के साथ अपने आबादी घर में सो रहे थे। लगभग आधी रात को, एक अन्य व्यक्ति के साथ कोई वहां आया, और अपनी बंदूक खींच ली, जिस पर वह जाग गया। जब वह उठा तो उस दूसरे व्यक्ति ने उसके सिर पर लाठी का वार किया और वह बेहोश हो गया। उनकी बंदूक उन लोगों ने छीन ली और जब उन्हें सुबह होश आया, तो वह गांव चौपाल में रह रहे 'सहायक उप-निरीक्षक विद्या प्रकाश' के पास गए और उन्हें पूरी घटना सुनाई और उनसे मामला दर्ज करने का अनुरोध किया। सहायक उप-निरीक्षक ने आरोपी को कुछ समय तक अपने साथ रखा और फिर घटना के स्थान पर बंदूक प्रदर्शनी पी 1 पाई गई, और उसे मामले में झूठा फंसाया गया। उन्होंने आगे बताया कि उनके कपड़े, शर्ट, धोती और चादर पर उन्हें लगी चोटों के कारण खून के धब्बे लगे थे और अंधेरे के कारण, वह उन दो व्यक्तियों को पहचान नहीं सके जो सोते समय आए थे। उन्होंने आगे कहा कि बलवान एन <3 हवा सिंह की शादी राज सिंह की बहन के साथ गांव लोआमाजरा में हुई थी और राज सिंह और बलवान और हवा सिंह की पत्नियों को हत्या के मामले में फंसाया गया था। राज सिंह और इन दोनों महिलाओं के दुश्मनों ने इन हत्याओं को अंजाम दिया है।

(5) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के सबूतों पर विश्वास करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कथित अपराधों के साथ आरोपी जुड़ा हुआ है और उसे छह व्यक्तियों की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और तदनुसार उसे सजा सुनाई।

(6) हमने अपीलकर्ता, श्री यू.डी.गौड़ और हरियाणा राज्य के लिए श्री जेएस मलिक, अधिवक्ता के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुना है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री यूडी गौड़ ने मामले में गुण-दोष के आधार पर काफी विस्तार से बहस की। वकील ने आगे तर्क दिया कि 5 मार्च, 1970 को आरोपी द्वारा मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया गया था कि आरोपी को पता चल गया था कि अदालत विपरीत पक्ष का पक्ष ले रही है। एक शिकायत की गई थी कि यहां तक कि आरोपी के वकील को भी मामले पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी और राज्य के वकील को स्वतंत्र रूप से अवैध कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी। उस आवेदन में अनुरोध किया गया था कि मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाए क्योंकि आरोपी उच्च न्यायालय में मामले के स्थानांतरण के लिए एक आवेदन दायर करना चाहता था। विद्वान वकील का तर्क यह है कि इस आवेदन को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था, उनके आदेश के माध्यम से , 5 मार्च, 1970 और विद्वान वकील की प्रस्तुति के अनुसार विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विद्वान वकील की दलील यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के प्रावधान अनिवार्य हैं और आरोपी द्वारा मामले के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के अपने इरादे को अधिसूचित करने के बाद दर्ज की गई कोई भी कार्यवाही अवैध है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वकील ने दलील दी कि इस आधार पर मुकदमे का उल्लंघन किया गया है। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्त स्थानांतरण आवेदन को आगे बढ़ाने में कभी गंभीर नहीं था और मामले को 5 मार्च, 1970 के बाद स्थगित कर दिया गया था, और बाद में स्थगन * भी दिया गया था जब अंततः 20 मार्च को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले का निर्णय घोषित किया गया था। 1970: मामले के हस्तांतरण के लिए उच्च न्यायालय में ऐसा कोई आवेदन दायर करने के लिए अभियुक्तों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी का आरोप प्रामाणिक नहीं था, बल्कि स्थगन प्राप्त करने के लिए केवल एक बहाना था।

(7) मामले के गुण-दोष को टालने से पहले, इस मामले में मुकदमे की वैधता के बारे में अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील का निपटारा करना उचित होगा, क्योंकि यह एक ऐसा बिंदु है जो मामले की जड़ तक जाता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के कारण मुकदमा प्रभावित हुआ है, तो मामले के गुण-दोष पर निष्कर्षों को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(8) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उपधारा (8) ई के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में हैं :-

"526 (8) यदि अध्याय VIII या अध्याय XVIII के तहत किसी भी जांच में या किसी भी परीक्षण में, कोई भी पक्ष बचाव पक्ष द्वारा अपना मामला बंद करने से पहले किसी भी स्तर पर अदालत को सूचित करता है। वह इस धारा के अधीन या धारा 528 के अधीन आवेदन करने का इरादा रखता है, न्यायालय, यदि आवश्यक हो, तो बिना जमानत के, दो सौ रुपये से अधिक की राशि का बांड निष्पादित करने पर, कि वह न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित समय के भीतर ऐसा आवेदन करेगा, मामले को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर देगा जो आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय देगा और उस पर एक आदेश प्राप्त करेगा:

बशर्ते कि इसमें निहित किसी भी बात के लिए अदालत को उसी पक्ष से दूसरी या बाद की सूचना पर मामले को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आवेदन उसी अदालत में किया जाना है, जिसमें पार्टी को ऐसा आवेदन करने का अवसर दिया गया है, या, जहां इस उप-धारा के तहत स्थगन पहले ही किसी अन्य आरोपी द्वारा बाद में सूचना पर कई अभियुक्तों में से एक द्वारा प्राप्त किया जा चुका है।

(9) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उपधारा (9) में प्रावधान है कि:-

"पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, सत्र न्यायालय में अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश को उप-धारा (8) के तहत मुकदमे को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसकी राय है कि इस धारा के तहत आवेदन करने के अपने इरादे को अधिसूचित करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा आवेदन करने का उचित अवसर है और वह इसका लाभ उठाने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहा है।

(10) इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास मामले की सुनवाई को स्थगित करने से इनकार करने का अधिकार क्षेत्र था, यदि उनकी राय थी कि आरोपी के पास पहले इस तरह का आवेदन करने का उचित अवसर था और वह इसका लाभ उठाने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहा था।

(11) वर्तमान मामले में सत्र विचारण 3 मार्च, 1970 को शुरू हुआ जब अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों से पूछताछ की गई और मामले को 4 मार्च, 1970 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 4 मार्च, 1970 को बैलिस्टिक विशेषज्ञ, पी.डब्ल्यू.4 के साक्ष्य समाप्त हो गए, सात और गवाहों के बयान दर्ज किए गए और मामले को 5 मार्च, 1970 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 मार्च, 1970 को, साक्ष्य की शुरुआत से पहले, अभियुक्त द्वारा इस अनुरोध के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि मामले को स्थगित कर दिया जाए ताकि अभियुक्त मामले के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन दायर कर सके। आवेदन की सामग्री इस प्रकार है:-

"1. आरोपी अपने मामले को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर करना चाहता है क्योंकि अदालत उसके खिलाफ है जो फाइल से स्पष्ट है। आरोपी को पता चला कि अदालत विपरीत पक्ष का पक्ष ले रही है।

(2) यहां तक कि आरोपी के वकील को भी मामले पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है और राज्य के वकील को स्वतंत्र रूप से अवैध कार्यवाही करने की अनुमति है।

इसलिए, आरोपी प्रार्थना करता है कि उसे उच्च न्यायालय में अपने मामले को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए समय दिया जाए और आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

(12) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित करके आवेदन का निपटारा कर दिया:

"आज साक्ष्य शुरू होने से पहले आरोपी ने कार्यवाही स्थगित करने के लिए आवेदन किया है क्योंकि वह मामले को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय जाना चाहता है। आवेदन में यह कहा गया है कि आरोपी के वकील को बचाव पक्ष पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है और पीपी को मामले पर मुकदमा चलाने के लिए अनुचित स्वतंत्रता दी गई है। आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। यह मामला दो दिनों से चल रहा है और आरोपियों के वकील को P.Ws से जिरह करने की पूरी छूट दी गई है। अन्य आरोप भी झूठे हैं। मुझे मुकदमे की कार्यवाही स्थगित करने और मुकदमे को रोकने से इनकार करने का कोई आधार नहीं दिखता है। सबूत को रिकॉर्ड करने दें"

इसके बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने शेष गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए और मामले को 7 मार्च 1970 तक के लिए स्थगित कर दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 6 मार्च, 1970 को सार्वजनिक अवकाश था। 7 मार्च, 1970 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा था कि वह बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता था और मामले को बहस के लिए 12 मार्च, 1970 तक स्थगित कर दिया गया था। 12 मार्च, 1970 को, अभियुक्त के वकील ने स्थगन का अनुरोध किया क्योंकि वह प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में हत्या के एक और मामले के संचालन में व्यस्त था। इस अनुरोध को ^ स्वीकार कर लिया गया और मामले को 18 मार्च, 1970 तक स्थगित कर दिया गया। 18 मार्च, 1970 को आंशिक दलीलें सुनी गईं और 19 मार्च, 1970 को दलीलें पूरी हुईं। इस मामले का निर्णय 20 मार्च, 1970 को सुनाया गया था। यह देखा जाएगा कि 5 मार्च, 1970 को, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले, अभियुक्त ने मामले को सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 के तहत आवेदन करने के अपने इरादे को अधिसूचित किया था। इस इरादे को बचाव पक्ष की समाप्ति से पहले आरोपी द्वारा सूचित किया गया था। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया जाना है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 (8) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और यदि हां, तो किस प्रभाव से।

(13) हमने मामले के इस पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमारे विचार में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के प्रावधान अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। जहां तक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, उसके पास मामले को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे ही

हस्तांतरण आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए उसके समक्ष कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा इरादा अधिसूचित किया जाता है। वह संबंधित पक्ष को स्थानांतरण आवेदन करने और उस पर आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए बाध्य है। यदि मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के परंतुक द्वारा कवर किया गया है, तो यह केवल उस आपात स्थिति में है कि स्थगन के लिए बाद के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है> इस संबंध में सत्र न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की शक्ति कुछ अलग है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उपधारा (9) में केवल एक आकस्मिकता का प्रावधान है, अर्थात्, यदि सत्र न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश की राय है कि इस धारा के तहत आवेदन करने के इरादे को अधिसूचित करने वाले व्यक्ति को ऐसा आवेदन करने का उचित अवसर मिला है और वह पर्याप्त कारण के बिना विफल रहा है, इसका लाभ उठाने के लिए, यह केवल उन परिस्थितियों में हो सकता है कि स्थगन से इनकार किया जा सकता है। यह तय करने के लिए कि क्या संबंधित व्यक्ति के पास ऐसा आवेदन करने का उचित अवसर था, सत्र न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के लिए यह फिर से आवश्यक होगा कि वह उन आधारों पर अपना दिमाग लगाए जिन पर स्थानांतरण आवेदन को स्थानांतरित करने की मांग की गई है क्योंकि यह केवल तभी होता है जब विद्वान न्यायाधीश को पता होता है कि किस आधार पर मामले को स्थानांतरित करने का इरादा अधिसूचित किया गया है। वह एक राय बना सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (9) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्थगन दिया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(14) वर्तमान मामले में, आरोपी ने आरोप लगाया था कि अदालत विपरीत पक्ष का पक्ष ले रही थी और यहां तक कि आरोपी के वकील को भी मामले पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी और राज्य के वकील को स्वतंत्र रूप से अवैध कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी। हम इस समय इस आवेदन में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष से चिंतित नहीं हैं। हालांकि आवेदन तब किया गया था जब सबूतों की जांच की जा रही थी। लेकिन आवेदन में स्वयं यह खुलासा नहीं किया गया है कि आरोपी को किस समय पता चला या आशंका हुई कि अदालत विपरीत पक्ष का पक्ष ले रही है, न ही विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने स्थगन के अनुरोध को खारिज करने का आदेश पारित करने से पहले आरोपी से यह जानकारी प्राप्त की, जैसा कि इस आवेदन को अस्वीकार करने वाले विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से देखा जाएगा। यह कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उपधारा (9) के प्रावधान, विद्वान न्यायाधीश के दिमाग में मौजूद नहीं थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने केवल इस आधार पर मामले को स्थगित करने से इनकार कर दिया कि आवेदन में लगाए गए आरोप झूठे थे। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि आवेदन में लगाए गए आरोप निराधार थे। यह देखना उच्च न्यायालय का काम था कि क्या अभियुक्त को मामले के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए समय दिया गया था और यदि इसे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, तो क्या दायर किए जाने वाले आवेदन में लगाए गए आरोप सही थे या नहीं या विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामले के हस्तांतरण के लिए कोई आधार बनाया गया था या नहीं। लेकिन निश्चित रूप से यह विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिए नहीं था कि वह आवेदन में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष का न्यायाधीश बन गया हो। वह केवल एक परिस्थिति में मामले को स्थगित करने से इनकार कर सकता था, अर्थात, यदि उसकी राय में आरोपी के लिए स्थानांतरण आवेदन करने का उचित अवसर था और वह बिना किसी पर्याप्त कारण के इसका लाभ उठाने में विफल रहा था। किसी अन्य स्थिति में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मामले को स्थगित करने से इनकार नहीं कर सकते थे और आरोपी को स्थानांतरण आवेदन देने के लिए उचित समय दे सकते थे। वर्तमान मामले के तथ्यों से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले को स्थगित करने के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के इनकार से अभियुक्त को न्याय की विफलता नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य 5 मार्च, 1970 को बंद कर दिए गए और मामले को 7 मार्च, 1970 के लिए स्थगित कर दिया गया। 7 मार्च, 1970 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा था कि उसका बचाव साक्ष्य जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। छह मार्च, 1970 को सार्वजनिक अवकाश था। इसके बाद आरोपी के वकील के अनुरोध पर मामले को 12 मार्च, 1970 तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि वह किसी अन्य मामले में व्यस्त थे। 12 मार्च, 1970 को मामले को फिर से 18 मार्च, 1970 तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि

अभियुक्त के विद्वान वकील एक अन्य न्यायालय में हत्या का मामला चलाने में व्यस्त थे। 18 मार्च, 1970 को तर्कों का एक भाग सुना गया और 19 मार्च, 1970 को दलीलें पूरी हो गईं और 20 मार्च, 1970 को निर्णय की घोषणा की गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि अभियुक्त चाहता था, तो वह फैसले की घोषणा से पहले स्थानांतरण आवेदन दायर कर सकता था, वह ऐसा कर सकता था, लेकिन वह 7 मार्च, 1970 के बाद ही ऐसा कर सकता था, और उस समय तक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त हो गए थे और बचाव पक्ष ने भी अपना मामला बंद कर दिया था। यह सोचना उचित होगा कि उस स्तर पर आरोपी ने स्थानांतरण आवेदन को आगे बढ़ाने से परहेज किया होगा क्योंकि उस स्तर पर भले ही उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आवेदन को मंजूरी दे दी गई हो, केवल दलीलें सुनी जानी थीं और फैसला सुनाया जाना था। हम यह नहीं कह सकते कि किन कारणों से आरोपियों ने बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद और दलीलें पूरी होने से पहले स्थानांतरण आवेदन देना उचित नहीं समझा, लेकिन इस मामले की परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि न्याय की विफलता नहीं हुई है।

(15) जहां तक मामले के हस्तांतरण के आधार के गुण-दोष का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के प्रावधान यह नहीं मानते हैं कि स्थानांतरण आवेदन पेश करने के अपने इरादे को अधिसूचित करने वाले पक्ष को अदालत के समक्ष आधार ों को विस्तार से बताना होगा। निस्संदेह, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उपधारा (9) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसे तथ्यों का खुलासा किया जाना चाहिए जो सत्र न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को यह राय बनाने में सक्षम बनाएंगे कि क्या इरादा अधिसूचित करने वाले पक्ष के पास स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पहले उचित समय था। और वही बिना किसी उचित कारण के इसका लाभ उठाने में विफल रहा है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उपधारा (9) की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मामले को स्थानांतरित करने के लिए कोई आधार बनाया गया था या नहीं, यह केवल तभी उचित रूप से तय किया जा सकता है जब आरोपी को इस तरह के आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए उचित अवसर प्रदान किया गया हो। इसके बाद ही उन्हें विस्तृत आधार बताने की जरूरत पड़ी, जिस पर उन्होंने मामले को स्थानांतरित करने के लिए भरोसा किया। वर्तमान मामले में वह चरण कभी नहीं पहुंचा। ऊपर जो कहा गया है, उससे यह मानना मुश्किल है कि वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को न्याय की विफलता नहीं हुई है।

(16) जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उपधारा (8) के उपबंध अनिवार्य हैं, हमारे विचार से अनेक निर्णयों द्वारा हमारा समर्थन किया जाता है। *गुलाम रसूल बनाम सम्राट*[1] के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले में यह माना गया था कि जब कोई अभियुक्त उस अदालत को सूचित करता है जिसके समक्ष उसका मामला लंबित है, तो उसके मामले के हस्तांतरण के लिए धारा 526, खंड (8) के तहत आवेदन करने का उसका इरादा लंबित है, तो यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह स्थगन दे और इस तरह उसके इनकार के बाद की सभी कार्यवाही कानून द्वारा अनुचित हैं और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। यद्यपि यह एक ऐसा मामला था जो मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित था, फिर भी यह इस दृष्टिकोण का समर्थन करेगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 के खंड (8) के प्रावधान अनिवार्य हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे। इसी तरह का दृष्टिकोण *लुत्तूर और अन्य बनाम सम्राट*,[2] में लिया गया था जिसमें यह माना गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526, खंड (8) के प्रावधान अनिवार्य हैं और इन प्रावधानों से कोई भी विचलन कार्यवाही को अवैध बना देगा।

(17) *याकूब कासिम बनाम सम्राट*[3], के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले में एक खंडपीठ ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 के खंड (8) के प्रावधान अनिवार्य थे और स्थगन से इनकार करने के बाद की गई कोई भी कार्यवाही कानून में उचित नहीं है और इस तरह की अनियमितता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 537 के प्रावधानों के तहत माफ नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसा मामला था जहां स्थानांतरण आवेदन को स्थानांतरित करने के इरादे को सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को सूचित किया गया था, जो हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन बिना किसी कारण के स्थगन से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि भी रद्द कर दी गई थी।

---

1 A.I.R. 1928 Lah. 850.
2 A.I.R. 1930 All. 263
3 A.I.R. 1935 Sind. 27.

(18) इसी तरह का दृष्टिकोण बॉम्बे हाईकोर्ट ने *पांडुरंग पुंडलिक शानभाग बनाम सम्राट*,[4] मामले में भी अपनाया था। यह माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 (8) की शर्तें अनिवार्य हैं। मजिस्ट्रेट अभियुक्त द्वारा स्थानांतरण के आवेदन पर मामले को स्थगित करने के लिए बाध्य है, जब तक कि अभियुक्त अपने अधिकारों के भीतर हों, जब तक कि पीड़ित पक्ष को हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए उचित समय नहीं मिल जाता। *देवी चंद, कब्जाधारी और अमर नाथ प्रबंधक जनरल मिल्स एंड जिनिंग फर्टोरी, लुधियाना बनाम सम्राट*,[5] , *भागवत और अन्य बनाम सम्राट*[6] और *रानी महारानी ने पलखादारी महटन और अन्य का अभियोजन बनाम गायतारी प्रॉबुनों घोसल*[7] में रिपोर्ट किए गए मामलों में यह फैसला सुनाया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के प्रावधान अनिवार्य हैं।

(19) हमारी राय में, इसे अन्यथा ठहराना, न केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की सीधी भाषा का उल्लंघन होगा, बल्कि यह न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत की जड़ में भी कटौती करेगा, जिसमें यह आवश्यक है कि न्यायालयों को न केवल भय या पक्षपात के बिना न्याय का प्रशासन करना चाहिए, बल्कि ऐसा करते हुए भी दिखना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से माना जाता है कि यह सर्वोपरि महत्व का है कि न्यायालयों के समक्ष उपस्थित पक्षों को न्यायालयों की निष्पक्षता में विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा, यदि यह माना जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, तो यह अदालत के समक्ष एक पार्टी को अदालत से कार्यवाही स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित करना होगा, जिसमें अच्छे या बुरे कारणों से पार्टी ने विश्वास खो दिया है। यह अधिकार विधायिका द्वारा दिया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 527 की उप-धारा (8) के प्रावधानों को अनुचित निर्माण देकर इसे नकारात्मक नहीं किया जा सकता है।

(20) हालांकि, कुछ अन्य निर्णय हैं जो वर्तमान विवाद के लिए काफी प्रासंगिक हैं, लेकिन हमारी राय में, वे तथ्यों पर अलग-अलग हैं। *हीरा मित्री बनाम राम बृक्ष सिंह*[8] के रूप में एक केस रिपोर्ट में।ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526, खंड (8) के तहत स्थगन के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे अभियोजन पक्ष की दलीलों के अंत में आरोपी द्वारा दायर किया गया था और इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसे बहुत देर से दायर किया गया था और इसका उद्देश्य केवल न्याय को पराजित करना या देरी करना था। पुनरीक्षण में, पटना उच्च न्यायालय ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि न्यायालय पुन: दूरदर्शी शक्तियों के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करेगा जब आवेदन प्रामाणिक नहीं था। यह प्राधिकरण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यहां हम एक हत्या के संदर्भ और आरोपी द्वारा दायर आपराधिक अपील से निपट रहे हैं।

(21) हम *निमत शा वी हनुमान बुक्शा अग्रवाल*,[9] के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले का पालन करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उस मामले में डिवीजन बेंच में बैठे विद्वान न्यायाधीश निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 के प्रावधानों में किसी भी संशोधन के अभाव में, मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को स्थगित करने से इनकार करना उचित नहीं था और इस धारा के प्रावधानों के विपरीत था। यह मानते हुए कि, हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 537 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है; और दूसरी बात, उस मामले में उनके लॉर्डशिप ने संशोधन की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दिया जो एक विवेकाधीन राहत थी। हमारे सामने एक हत्या का मामला और आरोपी द्वारा दायर अपील है।

(22) *पकीरा पुजारी* [10]के रूप में रिपोर्ट किया गया मामला फिर से तथ्यों पर अलग है। उस मामले में आरोपी ने मामले के हस्तांतरण के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश को अपने इरादे से अवगत कराया और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस आधार पर मुकदमे को स्थगित करने से इनकार कर दिया कि आरोपी के पास पहले से ही आवेदन करने का उचित अवसर था और वह इसका लाभ उठाने के लिए

---

4 A.I.R. 1931 Bom. 411
5 (1921) 22 Crl. L.J. 717
6 A.I.R. 1942 Oudh. 429.
7 I.L.R. 15 Cal. 455.
8 A.I.R. 1950 Patna 542
9 A.I.R. 1931 Cal. 626
10 A.I.R. 1944 Mad. 78.

पर्याप्त कारण के बिना विफल रहा था। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (9) के तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश का आदेश स्पष्ट रूप से गलत था क्योंकि यह सवाल कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 के तहत आवेदन करने के अपने इरादे को अधिसूचित करने वाले व्यक्ति के पास उचित अवसर था या नहीं, यह उन आधारों पर निर्भर करेगा जिन पर स्थानांतरण की मांग की गई है और उस मामले के तथ्यों पर यह माना गया था कि जिस आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई थी। इरादा अधिसूचित किए जाने से पहले बनाया गया था, मौजूद नहीं था। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि भले ही विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गलत राय बनाई हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था। आगे यह माना गया कि एकमात्र सवाल जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या गलत राय और परिणामस्वरूप स्थगन देने से इनकार करने से न्याय की विफलता हुई है, और मामले की इन परिस्थितियों में, न्यायालय की राय थी कि न्याय की कोई विफलता नहीं हुई थी और परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान मामले में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कभी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उपधारा (9) के प्रावधानों का पालन नहीं किया। उनके पास स्थगन से इनकार करने का अधिकार क्षेत्र था यदि वह अपने सामने मौजूद तथ्यों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (9) के प्रावधानों को लागू कर सकते थे।

(23) जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 537 के उपबंधों को लागू करने का प्रश्न है, हमारा मत है कि उक्त उपबंधों को केवल उस अनियमितता को दूर करने के लिए लागू किया जा सकता है जिससे न्याय की विफलता न हुई हो और जहां आदेश अनियमित हो लेकिन क्षेत्राधिकार में हो। लेकिन ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दोष को दूर करने के लिए उक्त प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास इस आधार पर स्थगन देने से इनकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि आवेदन में लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं था। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि इस आधार पर भी अभियुक्त को न्याय की विफलता नहीं हुई है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 537 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

(24) इस प्रकार हम यह कहना चाहते हैं कि 5 मार्च, 1970 को और उसके बाद की कार्यवाही और विचारण स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (8) के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, और इस मामले में निश्चित रूप से न्याय की विफलता हुई है। इस आधार पर मुकदमे का उल्लंघन किया जाता है। चूंकि हमारी राय है कि मुकदमे का उल्लंघन हुआ है और यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए ऐसा नहीं है। जहां तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलों की जांच करना आवश्यक है और हम पुन: परीक्षण में किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए ऐसा करने से बचते हैं।

(25) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, हम आरोपी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार करते हैं, लेकिन आरोपी की अपील को स्वीकार करते हैं, अपील के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि उसके मामले को सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा फिर से मुकदमा चलाया जाए, जिसके पास इसकी सुनवाई करने का अधिकार है।

(26) 1970 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 29-एम, डॉ. टीआर भल्ला द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के उसी फैसले के खिलाफ भी दायर किया गया है, जिनके खिलाफ निर्णय में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा कुछ टिप्पणी की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्णय के पहले भाग में दर्ज कारणों के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को रद्द किया जा रहा है, डॉ टीआर भल्ला के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों के गुण-दोष से निपटना आवश्यक नहीं है। यह पुनरीक्षण याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि हत्या के मुकदमे में मुख्य फैसले को रद्द किया जा रहा है और मामले को नए सिरे से चलाने का आदेश दिया जा रहा है। शीघ्र सुनवाई के लिए अभिलेख सत्र न्यायालय को भेजे जाएं।

न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह,-

(27) मैं अपने विद्वान भाई से पूरी तरह सहमत हूं कि विद्वान ट्रायल जज ने सीआरपीसी की धारा 528 की उप-धारा 9 में निहित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मुकदमे को जारी रखने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था, क्योंकि आरोपी ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था ताकि वह मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। जिस आदेश के द्वारा ट्रायल जज ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, वह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संबंधित प्रावधान और इस सवाल पर अपना दिमाग लगाने के बजाय कि क्या अभियुक्त स्थगन का हकदार था, उन्होंने खुद फैसला किया कि मामले को उनके न्यायालय से स्थानांतरित करने के लिए जो आधार रखा जाना था, वह निराधार था।

(28) मेरे विद्वान भ्राता न्यायाधीश ने संबंधित प्रावधानों और इस मुद्दे पर प्राधिकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं उनसे इस बात से भी सहमत हूं कि सीआरपीसी की धारा 528 की उप-धारा 9 के तहत आवेदन किए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही को नियमित करने के लिए इस मामले में सीआरपीसी की धारा 528 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। चूंकि स्थानांतरण के लिए इंगित आधार यह था कि विद्वान ट्रायल जज ने गवाह की जांच के दौरान अभियोजन पक्ष को अनुचित छूट की अनुमति दी थी और उन्होंने कार्यवाही को इस तरह से संचालित किया था ताकि आरोपी के मन में उचित आशंका पैदा हो कि अदालत अभियोजन पक्ष के पक्ष में पक्षपाती थी, कानून के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करते हुए स्थगन के लिए प्रार्थना के बाद कार्यवाही जारी रखना स्पष्ट रूप से उनके लिए पूर्वाग्रहपूर्ण था। आरोपी द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम है या नहीं, यह केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने के आरोपी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया हो और उसे स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का अवसर दिया हो। हमारे पास एकमात्र रास्ता यही खुला है कि दोषसिद्धि को रद्द किया जाए और अपीलकर्ता की अपील के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के समिति उपयोग कि लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा